



**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट – थाना स्योहारा**

**दिनांक – 22.04.2024**

**थाना स्योहारा पुलिस ने गोवध में संलिप्त हिस्ट्रीशीटर सहित दो अभियुक्तों को गोवध की घटनाओं में प्रयुक्त की जाने वाली गाडी व कटान में प्रयुक्त उपकरणों सहित किया गिरफ्तार ।**

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 21.04.2024 को वादी श्री हरपाल सैनी पुत्र झण्डी सिंह निवासी मौ० मिल्लिकयान निकट नवादा चुंगी कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा गोकशी की गयी है, जिसके अवशेष वादी के खेत के निकट सूखे नाले में पड़े हुए है । तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर



मु०अ०सं० 161/24 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.वकील पुत्र हनीफ निवासी मंगलखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2.जुवैर पुत्र यामीन 3.इकराम पुत्र शमीम निवासीगण मौ० शेखान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 4.अनाव पुत्र इरफान अंसारी निवासी मंसूर सराय पित्थापुर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया ।

**कार्यवाही –**

जनपद मे गोकशी की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने व गोकशी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1.वकील पुत्र हनीफ निवासी मंगलखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर हाल निवासी बुढेरन रोड कस्बा स्योहारा जनपद बिजनौर 2.अनाव पुत्र इरफान अंसारी निवासी मंसूर सराय पित्थापुर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गोवध मे प्रयुक्त इको गाडी रजि० सं० UP21CX1286 सहित गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

अभियुक्त वकील शातिर किस्म का गोकश है, तथा थाना स्योहारा का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर (हिस्ट्रीशीट सं० 33ए) है । अभियुक्त वकील के विरुद्ध थाना स्योहारा पर गोकशी/पशू क्रूरता अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में करीब एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है ।

## पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया हम लोग आवारा/छुट्टा पशुओं को जंगल से पकड़ लेते हैं तथा उनका कटान कर माँस को इसी गाडी में भरकर ले जाकर बेच देते हैं, जिससे हमें काफी मुनाफा हो जाता है।

## गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता –

1. वकील पुत्र हनीफ निवासी मंगलखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर हाल निवासी बुढेरन रोड कस्बा स्योहारा जनपद बिजनौर

2. अनाव पुत्र इरफान अंसारी निवासी मंसूर सराय पित्थापुर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

## बरामदगी –

1. गोकशी में प्रयुक्त वाहन इको सं० UP21CX1286

2. गोवध में प्रयुक्त उपकरण (चापड व छुरी)

## हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त वकील का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 682/17 धारा 269/290 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2. मु०अ०सं० 86/19 धारा 3/5/8 गोवध अधि० धारा 307 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

3. मु०अ०सं० 90/19 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

4. मु०अ०सं० 547/19 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

5. मु०अ०सं० 63/20 धारा 60 आबकारी अधि० थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

6. मु०अ०सं० 426/22 धारा 60 आबकारी अधि० थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

7. मु०अ०सं० 45/22 धारा 60 आबकारी अधि० थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

8. मु०अ०सं० 66/23 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

9. मु०अ०सं० 161/24 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

## पुलिस टीम का विवरण –

1. श्री जीत सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2. व०उ०नि० श्री सुरजीत सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

3. हे०कां० 678 सतीश थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

4. हे०कां० 137 असकर खाँ थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

5. कां० विशाल चिकारा सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर

5. चालक अमरपाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर

दिनांक – 22.04.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 132/2024 धारा 363/376(3) भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 17.04.2024 को वादी द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर दी गयी कि वादी की पुत्री को बाल अपचारी अभियुक्त बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है । तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 132/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया । स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में 376(3) भादवि0 व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई ।

**कार्यवाही –**

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.04.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

**बाल अपचारी का नाम व पता –**

एक बाल अपचारी

**पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली टीम –**

1. उ0नि0 देवी प्रसाद गौतम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. हे0का0 823 प्रमोद कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ

दिनांक – 22.04.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0सं0 103/24 धारा 302/341/504/120बी भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 27.03.2024 को वादी मौ0 आमिर पुत्र मौ0 ताहिर निवासी मौ0 जैनुलाबदीन कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा थाना अफजलगढ पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.फैजान 2.धोनी 3.अकबर पुत्रगण तनवीर 4.तनवीर पुत्र मौ0 आकिल निवासीगण मौ0 जैनुलाबदीन थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पिता को रास्ते मे रोककर गाली – गलौच की गयी तथा अभियुक्त अकबर व धोनी ने वादी के पिता के पेट में



कैंची से वार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया । तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 103/24 धारा 307/341/504 भादवि बनाम फैजान आदि उपरोक्त कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्त मौ0 फैसल उर्फ धोनी व फैजान को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । दिनांक 28/03/2024 को घायल मौहम्मद ताहिर की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अकबर उपरोक्त की नामजदगी झूठी पाई गई व अभियोग में धारा 307 भादवि का लोप कर धारा 302/120बी भादवि की वृद्धि की गई ।

### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.04.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त तनवीर पुत्र मौ0 आकिल नि0 मौ0 जैनुलआबेदीन कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

तनवीर पुत्र मौ0 आकिल नि0 मौ0 जैनुलआबेदीन कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.थाना प्रभारी पुष्कर सिंह मेहरा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2. व0उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
3. का0 2134 नितिन कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना स्योहारा

दिनांक 22.04.2024

**थाना स्योहारा पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.04.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र मुन्ने सिंह निवासी ग्राम सद्दोबेरखां धुराडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दीपक कुमार पुत्र मुन्ने सिंह निवासी ग्राम सद्दोबेरखां धुराडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. हे0का0 193 राजू दिवाकर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3. का0 1731 गजेन्द्र सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट:- थाना शेरकोट

दिनांक 22.04.2024

**थाना शेरकोट पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.04.2024 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त अमित कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम धुराडा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमित कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम धुराडा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 जगपाल सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2. हे0का0 643 विजयपाल सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
3. का0 1731 गजेन्द्र सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 22.04.2024

थाना चांदपुर पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम ने 03 अभियुक्तों को एक ट्रक में प्लास्टिक के 08 बोरों में भरा डोडा चूर्ण कुल 380 कि०ग्रा० (अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये), 03 मोबाइल फोन, 38,000/- रुपये नकद व सब्जी से भरे 32 बोरों सहित किया गिरफ्तार।

### कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण/विक्रय/परिवहन आदि करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चाँदपुर पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान ट्रक रजि०सं० HP63B3755 को चेक किया गया तो गाडी से 19 बोरें प्याज व 13 बोरें बन्दगोभी की आड़ में रखे प्लास्टिक के 08 बोरों में भरा डोडा चूर्ण कुल 380 कि०ग्रा० (अनुमानित कीमत करीब 15



लाख रुपये) सहित 03 अभियुक्तगण 1.इरफान पुत्र सुलेमान 2.अब्दुल वारी उर्फ रहमान पुत्र लियाकत अली 3.महबूब पुत्र नूर अहमद निवासीगण ग्राम तरसानू थाना नेरुआ जनपद शिमला हिमाचल प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 03 मोबाइल फोन, 38000/- रुपये भी बरामद किये गये। इस सम्बन्ध में थाना चाँदपुर पर मु०अ०सं० 183/2024 धारा 8/18 NDPS Act बनाम इरफान आदि उपरोक्त कुल 03 नफर पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग डोडा आदि नशीले पदार्थों को बिहार, झारखण्ड से लाकर पहाड़ों पर बेच देते हैं, जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है तथा शराब की तस्करी भी करते हैं।

दिनांक 12.04.2024 को हम तीनों गाड़ी संख्या HP63B3755 में शिमला से सब्जी लेकर बनारस गये थे तथा लगभग 3-4 दिन पहले जाकिर निवासी पोन्टा साहिब ने अपना माल डोबी बिहार से पोन्टा साहिब लाने के लिये कहा। हम लोग डोबी बिहार से प्याज तथा बन्द गोभी के कट्टे के बीच में डोडे के 08 बोरें दबाकर ला रहे थे तथा जाकिर माल लदवाकर अपनी गाड़ी से चला गया था और हम लोग वापस पोन्टा साहिब के लिये चल दिये तथा बिजनौर में पुलिस ने हमें पकड़ लिया। इससे पूर्व दिनांक 14.03.2024 को भी बिजनौर में एक शराब की पेटियो से भरी गाड़ी पकड़ी गयी थी, जो हमारे साथी राजेश मधईक की थी।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. इरफान पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम तरसानू थाना नेरुआ जनपद शिमला हिमाचल प्रदेश
2. अब्दुल वारी उर्फ रहमान पुत्र लियाकत अली निवासी ग्राम तरसानू थाना नेरुआ जनपद शिमला हिमाचल प्रदेश
3. महबूब पुत्र नूर अहमद निवासी ग्राम तरसानू थाना नेरुआ जनपद शिमला हिमाचल प्रदेश

### बरामदगी –

ट्रक रजि०सं० HP63B3755

प्लास्टिक के 08 बोरों में भरा डोडा चूर्ण कुल 380 कि०ग्रा० (अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये)

19 बोरें प्याज

13 बोरें बन्दगोभी

03 मोबाइल फोन

38, 000 /- रुपये नगद

### अभियुक्त इरफान उपरोक्त का अपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 26/21 धारा 429/34 भादवि 11 पशु क्रूरता अधि० थाना नेहरवा जनपद शिमला हिमाचल प्रदेश
2. मु०अ०सं० 183/24 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

### अभियुक्त अब्दुल वारी उर्फ रहमान का अपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 20/06 धारा 337/379 भादवि० थाना नेहरवा जनपद शिमला हिमाचल प्रदेश
2. मु०अ०सं० 179/11 धारा 34/379 भादवि० थाना नेहरवा जनपद शिमला हिमाचल प्रदेश
3. मु०अ०सं० 188/11 धारा 22/29 एनडीपीएस एक्ट थाना नेहरवा जनपद शिमला हिमाचल प्रदेश
4. मु०अ०सं० 41/13 धारा 41/42 भारतीय वन अधि० 379 भादवि थाना नेहरवा जनपद शिमला हिमाचल प्रदेश



- 5.मु0अ0सं0 242/15 धारा 11/3 पशु क्रु0अधि0 3/6 गौवध अधि0 थाना विकास नगर जनपद देहरादून उत्तराखण्ड
- 6.मु0अ0सं0 18/17 धारा 283 भादवि0 थाना नेहरवा जनपद शिमला हिमाचल प्रदेश
- 7.मु0अ0सं0 05/19 धारा 22/25/29 एनडीपीएस एक्ट थाना नेहरवा जनपद शिमला हिमाचल प्रदेश
- 8.मु0अ0सं0 30/19 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना कौशीकला जनपद मथुरा उ0प्र0
- 9.मु0अ0सं0 72/20 धारा 22/25 एनडीपीएस एक्ट थाना नेहरवा जनपद शिमला हिमाचल प्रदेश
- 10.मु0अ0सं0 122/24 धारा 63/72 आबकारी अधि0 420/467/468/471 भादवि0 थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
- 11.मु0अ0सं0 183/24 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

### अभियुक्त महबूब उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0सं0 26/21 धारा 429/34 भादवि0 व 11 पशु क्रु0अधि थाना नेहरवा जनपद शिमला हिमाचल प्रदेश
- 2.मु0अ0सं0 183/24 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार बैसला थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 2304 अनिरुद्ध थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
- 4.कां0 1244 अनुज बाना थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
- 5.कां0 1627 मौ0 मोबीन थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
- 6.हे0कां0 464 दिनेश कुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

### स्वाट/सर्विलांस टीम, जनपद बिजनौर

- 1.उ0नि0 श्री जयवीर सिंह प्रभारी सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री शौकत अली प्रभारी स्वाट टीम जनपद बिजनौर
- 3.हे0कां0 जोगेन्द्र सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर
- 4.का0 विशाल चिकारा सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर
- 5.कां0 सुजीत तोमर सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर
- 6.कां0 मोनू कुमार सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर
- 7.कां0 दीपक जावला सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर
- 8.कां0 1441 आकाश स्वाट टीम जनपद बिजनौर



**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर दिनांक – 22.04.2024**

**थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत गाडी में युवक का गोली लगी अवस्था में शव मिलने पर स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही वैधानिक कार्यवाही के सम्बन्ध में।**

अवगत कराना है कि आज दिनांक 22.04.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस को थाना क्षेत्रान्तर्गत बिजनौर – नजीबाबाद हाइवे के निकट ग्राम झलरा के पास बंद स्विफ्ट डिजायर गाडी रजि0 नं0 UP19H9009 में ड्राइविंग सीट पर एक युवक का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा डॉग स्कवायड व फील्ड यूनिट टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा शव को कब्जे में लिया गया। मृतक को गन शॉट इन्जरी है तथा पिस्टल भी गाडी के अन्दर से बरामद हुई है। मृतक की पहचान रोहन पुत्र संजीव निवासी ग्राम त्रिलोकपुरी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर के रूप में हुई। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टतया आत्महत्या किया जाना प्रतीत होता है। पुलिस द्वारा समस्त बिन्दुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।